

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)

बिहार, पटना

द्वारा:- वित्त विभाग

पटना, दिनांक

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में माँग संख्या-22, मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 111-रेल पुलिस, उपशीर्ष 0002-आर्डर पुलिस, विषय शीर्ष 0002.01.01-वेतन, 0002.01.03-जीवन यापन भत्ता, 0002.01.04-मकान किराया भत्ता, 0002.01.05-परिवहन भत्ता, 0002.01.06-चिकित्सा भत्ता, 0002.01.07-अन्य भत्ता एवं 0002.11.01-यात्रा व्यय तथा विपत्र कोड 22-2055.00.111.0002 के अन्तर्गत संभावित बचत राशि में से मुख्यशीर्ष 2055-पुलिस, उप मुख्यशीर्ष 00, लघु शीर्ष 101-आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता, उपशीर्ष 0001-आपराधिक जांच विभाग, विषय शीर्ष 0001.01.01-वेतन, 0001.01.03-जीवन यापन भत्ता, 0001.01.04-मकान किराया भत्ता, 0001.01.05-परिवहन भत्ता, 0001.01.06-चिकित्सा भत्ता, 0001.01.07-अन्य भत्ता एवं 0001.13.01-कार्यालय व्यय तथा विपत्र कोड 22-2055.00.101.0001 के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 5,00,00,000, ₹ 50,00,000, ₹ 80,00,000 ₹ 12,00,000, ₹ 12,00,000, ₹ 58,00,000 एवं ₹ 20,00,000 यानि कुल ₹ 7,32,00,000 (सात करोड़ बत्तीस लाख रू0) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश:- बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-489 के अधीन पुनर्विनियोग स्वीकृत।

अनु0:- अनुसूची

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(आमिर सुबहानी)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञाप सं0:-6/ब0गै0यो0-01-14/2018गृ0आ0(खण्ड).....²⁶⁰⁶.....पटना, दिनांक 19.03.18

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा-5), पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (बजट अपील एवं कल्याण), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.3.18

अपर मुख्य सचिव